

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रिल, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1994 (फाल्गुन 17, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उप धारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री कंकर मुंजारे, बाबूलाल गौर, बच्चन नायक, सदस्य, रीवा में पुलिस कर्मियों द्वारा विधायक एवं उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बाबूलाल गौर, शैलेन्द्र प्रधान, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम परिसर में गाइड, मार्शल आर्ट इन्स्टीट्यूट को आवंटित स्थान जबरिया खाली कर सामान की जप्ती करने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

श्री गौरी शंकर बिसेन, डॉ. रमन सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री बाबूलाल गौर, श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 2 सन् 1994) का अननुमोदन करता है।"

निर्धारित
समय

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

1 घन्टा

श्री मुकेश नायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 4 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) का अननुमोदन करता है।"

7. शासकीय विधि विधेयक कार्य

1 घन्टा

(1) श्री सुभाष यादव, उपमुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 6 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

मध्य प्रदेश विधान सभा

संख्या १००१, १२-८-१९९४

(2) श्री प्यारेलाल कंवर, उपमुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

- 2 घन्टे (1) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर के वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1993-94 भाग 1 व 2 पर चर्चा.
- 30 मि. (2) मेगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पर चर्चा.
- 1 घन्टा (3) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा.
- 30 मि.

प्रतिवेदन संख्या (1) १००१

प्रतिवेदन संख्या (1) १००१
 कि (1) मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर के वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1993-94 भाग 1 व 2 पर चर्चा.
 भोपाल :
 दिनांक : 7 मार्च, 1994
 सचिव,
 मध्य प्रदेश विधान सभा

प्रतिवेदन संख्या (2) १००२

प्रतिवेदन संख्या (2) १००२
 कि (2) मेगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पर चर्चा.
 भोपाल :
 दिनांक : 7 मार्च, 1994
 सचिव,
 मध्य प्रदेश विधान सभा

प्रतिवेदन संख्या (3) १००३

प्रतिवेदन संख्या (3) १००३
 कि (3) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा.
 भोपाल :
 दिनांक : 7 मार्च, 1994
 सचिव,
 मध्य प्रदेश विधान सभा

प्रतिवेदन संख्या (4) १००४

प्रतिवेदन संख्या (4) १००४
 कि (4) मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर के वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1993-94 भाग 1 व 2 पर चर्चा.
 भोपाल :
 दिनांक : 7 मार्च, 1994
 सचिव,
 मध्य प्रदेश विधान सभा

प्रतिवेदन संख्या (5) १००५

प्रतिवेदन संख्या (5) १००५
 कि (5) मेगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पर चर्चा.
 भोपाल :
 दिनांक : 7 मार्च, 1994
 सचिव,
 मध्य प्रदेश विधान सभा

संख्या १००१

संख्या १००२

संख्या १००३

संख्या १००४

संख्या १००५